

कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर

क्रमांक:- ई-मेल

दिनांक:- 05.04.2019

श्रीमान् अति. महानिदेशक पुलिस
(अपराध शाखा) राजस्थान जयपुर।

विषय:- सीएम हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद के संबंध में।
प्रसंग:- सीएम हेल्पलाईन संख्या 03190675341305 दिनांक 26.03.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगीय पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि सी.एम. हेल्पलाईन 181 परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवाद की जांच सहायक पुलिस आयुक्त यातायात (प्रोटोकॉल) जयपुर से करवाई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट परिवादी से सम्पर्क किया गया तो उसने उपस्थित आने से मना कर दिया। परिवाद के संबंध में यातायात जयपुर के चारों क्षेत्रों में क्रेन हाउस पर तैनात मुख्य आरक्षियों के बयान लेखबद्ध किये जाकर विस्तृत पूछताछ की गई। प्राइवेट क्रेनों की तैनातगी के बारे में मालुमात किया गया तो पाया कि पुलिस लाईन में क्रेन उपलब्ध है लेकिन उन पर प्रशिक्षित चालक नहीं होने के कारण उनको काम में नहीं लिया जा रहा है अतः विभाग की क्रेन पर पुलिस के चालक प्रशिक्षित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होते ही विभाग की क्रेनो को संचालित करवाया जाकर प्राइवेट क्रेनो को हटवा दिया जावेगा।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोटोकॉल)
नोडल अधिकारी यातायात जयपुर